

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक: 30-06-2009

संख्या 2/टी-26/2009 844(2) /स्वा0 बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है ।

क्रम संख्या	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन का जिला	नवपदस्थापित जिला
1	डा० नागेन्द्र चौवे	औरंगाबाद	रोहतास
2	डा० विनोद कुमार	भोजपुर	रोहतास
3	डा० रामाशंकर	भोजपुर	रोहतास
4	डा० सत्येन्द्र शंकर	औरंगाबाद	रोहतास
5	डा० भरत प्रसाद सहनी	औरंगाबाद	रोहतास
6	डा० रामाधर शर्मा	बक्सर	रोहतास
7	डा० विजय कुमार सिंह		रोहतास

2. सम्बन्धित सिविल सर्जन/नियंत्री पदाधिकारी 15 दिनों के भीतर स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को पदस्थापित स्थान के लिए निश्चित रूप से विरमित कर देंगे और नवपदस्थापित जिले के सिविल सर्जन, विरमित होकर योगदान देने वाले चिकित्सा पदाधिकारियों का पदस्थापन जिले के अन्तर्गत रिक्त पद के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर निश्चित रूप से कर
3. अधिसूचित चिकित्सा पदाधिकारी जुलाई माह का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे ।
4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति में यह आदेश उनपर लागू नहीं होगा ।
5. इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना अवकमित समझी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(डा० प्रमोद कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 2/टी-26/2009

844(2) /स्वा0,दिनांक 30.06.2009

प्रतिलिपि : अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, /अवर सचिव वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी /सम्बन्धित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त /सम्बन्धित जिला पदाधिकारी /सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक,स्वास्थ्य सेवाएँ /सम्बन्धित असेनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी /उप महानिरीक्षक अनियोजन बिहार,पटना /सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री /माननीय राज्य मंत्री के आप्त सचिव /प्रधान सचिव के सचिव स्वास्थ्य /निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ /उप सचिव स्वास्थ्य /प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,7,9, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव